

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ए.सी.बी. जोधपुर ग्रामीण थाना ए.सी.बी. सी.पी.एस., जयपुर वर्ष 2022

प्र.इ.रि.सं. 42/22 दिनांक 11/2/22

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारार्ये. 7  
(2) अधिनियम - भा.द.स. - धारार्ये. -  
(3) अधिनियम - धारार्ये. -  
(4) अन्य अधिनियम व धाराये. -
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 209 समय 1:30 P.M.  
(ब) अपराध के घटने का दिन :- 10.02.2022 समय 02.02 पी.एम.  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :- 09.02.2022 समय 04.00 पी.एम.

4. सूचना किस्म :- लिखित

5. घटनास्थल :- पटवार कार्यालय चक संख्या-2 बावड़ी, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पूर्व, करीब 65 कि०मी०  
(ब) पता :- पटवार कार्यालय चक संख्या-2 बावड़ी, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।  
बीट संख्या - जरायमदेही सं. -  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना - जिला -

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-

- (अ) नाम :- पप्पुराम  
(ब) पिता का नाम : श्री बालूराम  
(स) जन्म तिथि : 36 वर्ष  
(द) राष्ट्रीयता :- भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या - जारी होने की तिथि -  
जारी होने की जगह -  
(र) व्यवसाय :- खेतीबाड़ी  
(ल) पता :- निवासी डावोला का बास, ग्राम बावड़ी तह० बावड़ी जिला जोधपुर

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-

श्री भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 52 वर्ष जाति प्रजापत निवासी 60 सैनिक पुरी डिगाड़ी जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावड़ी चक संख्या-2 तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

8. शिकायत / इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण  
.....
9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)  
.....
10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य / रिश्वती राशि ....8,000/- रुपये.....
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं०), (यदि कोई हो तो).....
12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवा में,

श्रीमान अति० पुलिस अधीक्षक,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
जोधपुर-ग्रामीण।

विषय - श्री भंवर लाल पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि मैं प्रार्थी पप्पुराम पुत्र बालुराम उम्र 36 साल जाति जाट निवासी डावोला का बास, बावड़ी तह0 बावड़ी जिला जोधपुर का निवेदन इस प्रकार है कि मेरे द्वारा श्रीमति खमा पत्नि श्री गिरधारी राम उम्र 58 साल जाति जाट निवासी बावड़ी जिला जोधपुर से दिनांक 12.01.2022 को मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम से 1.03955 हैक्टर कृषि भूमि कय की गई थी। मेरे द्वारा मेरी पत्नि के नाम से कय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम दर्ज करने हेतु रजिस्ट्री की फोटो प्रति श्री भंवरलाल हल्का पटवारी बावड़ी चक द्वितीय को आज से करीब 10-12 दिन पहले दी थी। मेरे द्वारा पटवारी को रजिस्ट्री की प्रति देते वक्त पटवारी श्री भंवर लाल द्वारा मेरे से नामान्तरण दर्ज करने के लिये 2000/- रु0 मांग कर प्राप्त कर लिये थे। मेरे द्वारा पटवारी श्री भंवर लाल से मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम नामान्तरण दर्ज करने हेतु कई बार सम्पर्क किया गया, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा आज दिनांक तक मेरी पत्नि के नाम कय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया।

आज दिनांक 09.02.2022 को मैं श्री भंवर लाल पटवारी हल्का बावड़ी चक द्वितीय से बावड़ी स्थित उनके कार्यालय में मिला तो उन्होंने मेरे से मेरी पत्नि के नाम नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 10,000/- रु0 रिश्वत राशि की मांग की गई है। मैं श्री भंवर लाल पटवारी हल्का बावड़ी चक द्वितीय को मेरे जायज कार्य के लिये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि अवैध रूप से रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री भंवर लाल पटवारी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन-देन बाकी है। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावें। मेरे द्वारा पटवारी को प्रस्तुत की गई मेरी पत्नि के नाम की रजिस्ट्री की फोटो एवं मेरे आधार कार्ड की फोटो साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सही/- स्वतन्त्र गवाह श्री रमेश जोशी	सही/- स्वतन्त्र गवाह श्री चन्द्राराम	सही/- (अमराराम खोखर) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण	सही/- (भोपालसिंह लखावत) अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण	प्रार्थी पप्पुराम पुत्र बालुराम उम्र 36 साल जाति जाट निवासी डावोला का बास, बावड़ी, तह0 बावड़ी जिला जोधपुर
---	--	--	---	--

#### कार्यवाही पुलिस

दिनांक 09.02.2022 वक्त 04.00 पी.एम.पर यह लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री पप्पुराम पुत्र बालुराम उम्र 36 साल जाति जाट निवासी डावोला का बास, बावड़ी तह0 बावड़ी जिला जोधपुर ने व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत की व दरियाफ्त पर बताया कि मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम से श्रीमति खमा पत्नि श्री गिरधारी राम उम्र 58 साल जाति जाट निवासी बावड़ी जिला जोधपुर से दिनांक 12.01.2022 को उसकी ग्राम बावड़ी चक द्वितीय खसरा संख्या 162 में से 1/2 हिस्सा खातेदारी जमीन 1.03955 हैक्टर कृषि भूमि कय की गई थी। मेरे द्वारा मेरी पत्नि के नाम से कय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम दर्ज करने हेतु रजिस्ट्री की फोटो प्रति श्री भंवरलाल हल्का पटवारी बावड़ी चक द्वितीय को आज से करीब 10-12 दिन पहले दी थी। मेरे द्वारा पटवारी को रजिस्ट्री की प्रति देते वक्त पटवारी श्री भंवर लाल द्वारा मेरे से नामान्तरण दर्ज करने के लिये 2000/- रु0 मांग कर प्राप्त कर लिये थे। मेरे द्वारा पटवारी श्री भंवर लाल से मेरी पत्नि श्रीमति कमला के नाम नामान्तरण दर्ज करने हेतु कई बार सम्पर्क किया गया, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा आज दिनांक तक मेरी पत्नि के नाम कय की गई कृषि भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया। आज दिनांक 09.02.2022 को मैं श्री भंवर लाल पटवारी हल्का बावड़ी चक द्वितीय से बावड़ी स्थित उनके कार्यालय में मिला तो उन्होंने मेरे से मेरी पत्नि के नाम नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 10,000/- रु0 रिश्वत राशि की मांग की गई है। मैं श्री भंवर लाल पटवारी हल्का बावड़ी चक द्वितीय को मेरे जायज कार्य के लिये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि अवैध रूप से रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री भंवर लाल पटवारी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन-देन बाकी है। रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावें। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाता है। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में तलब कर परिवादी श्री पप्पुराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज के सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 04.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री पप्पुराम को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पूछताछ कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताने व अपने फिकरा उपरोक्त के कथनो की पुनः ताईद की गई। वक्त 04.40 पी.एम. पर कार्यालय के श्री बचनाराम कानि. 447 को अपने कार्यालय कक्ष में



बुलाकर कानि. श्री बचनाराम का परिवारी श्री पप्पुराम से परिचय करवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित अलमारी से निकालकर परिवारी श्री पप्पुराम एवं श्री बचनाराम कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाना व बंद करना समझाया जाकर वक्त 04.55 पी.एम. पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की सुरक्षित अलमारी से निकाल कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर कानि0 श्री बचनाराम को सुपुर्द कर श्री बचनाराम को हिदायत दी गई कि पटवार कार्यालय बावडी से थोड़ा पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवारी श्री पप्पुराम को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु परिवारी के निजी वाहन से बावडी के लिये रवाना किया। वक्त 06.36 पी.एम. पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए कानि. श्री बचनाराम ने अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि पटवार कार्यालय बावडी से थोड़ा पहले मैंने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवारी श्री पप्पुराम के पहने हुए कमीज की उपर की बांयी जेब में रखा जाकर परिवारी को संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु पटवार कार्यालय बावडी की तरफ मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पटवार कार्यालय के आस-पास ही गोपनीय रूप से खड़ा रहा था। कुछ समय बाद परिवारी श्री पप्पुराम अपनी मोटर साईकिल से मेरे पास उपस्थित आया व कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे पेश किया, जिसे मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा है। परिवारी ने बताया कि मेरी श्री भंवरलाल पटवारी से उनके कार्यालय में रिश्वती राशि की मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि0 श्री बचनाराम को हिदायत दी गई कि परिवारी श्री पप्पुराम को आईन्दा मेरे निर्देशानुसार एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण में पहुंचने हेतु पाबन्द कर स्वयं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सहित कार्यालय पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात वक्त 06.42 पी.एम.पर परिवारी श्री पप्पुराम ने अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि मेरी श्री भंवरलाल पटवारी से रिश्वति राशि के सम्बन्ध में वार्ता हो गई हैं तथा श्री भंवरलाल पटवारी को मेरे द्वारा आज रिश्वति राशि का नहीं होने का कहने पर उन्होंने मुझे मेरी इच्छानुसार रिश्वति राशि देने बाबत कहा हैं। तथा कल दिनांक 10.02.2022 को रिश्वति राशि लेकर बुलाया हैं। जिस पर परिवारी को कल दिनांक 10.02.2022 को वक्त 09.00 ए.एम. पर संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वति राशि सहित कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई। वक्त 08.30 पी.एम. तक गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्री भल्लुराम खीचड़ मुख्य शिक्षा अधिकारी जोधपुर से जरिये मोबाईल वार्ता करने पर श्री भल्लुराम खीचड़ द्वारा श्री रमेश जोशी हाल वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय महलो की ढाणी झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 9414494194 व श्री चन्द्राराम हाल अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय महलो की ढाणी झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 9983316450 को गोपनीय कार्यवाही हेतु पाबन्द करने बाबत अवगत करवाया जाने पर उक्त दोनो गवाहान से जरिये मोबाईल वार्ता कर कल दिनांक 10.02.2022 को वक्त 09.00 ए.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया एवं गोपनीय कार्यवाही हेतु अतिरिक्त ब्यूरो जाप्ता व राजकीय वाहन की आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर से जरिये मोबाईल वार्ता कर ब्यूरो जाप्ता एवं राकीय वाहन कल दिनांक 10.02.2022 को वक्त 09.00 ए.एम. पर कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। वक्त 08.45 पी.एम. पर रिश्वति राशि मांग सत्यापन हेतु गया कानि0 श्री बचनाराम कार्यालय में उपस्थित आया व कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ हालात में पेश कर उपरोक्त हालात पुनः दोहराये गये। इस कार्यालय हाजा के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर परिवारी श्री पप्पुराम व श्री भंवरलाल पटवारी के बीच हुई वार्तालाप को सुनने से पाया गया कि रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवारी से रिश्वति राशि मांग किये जाने की पुष्टि हुई है। आईन्दा परिवारी व स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू उक्त वार्तालाप का फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा गया।

दिनांक 10.02.2022 को वक्त 09.15 ए.एम. तक पूर्व से पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाह हाजिर आये। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका परिचय लिया गया तो उन्होंने क्रमशः अपना नाम श्री रमेश जोशी पुत्र श्री बी.पी. जोशी उम्र 52 जाति ब्राहमण निवासी 152, कन्हैया नगर शिकारगढ जोधपुर हाल वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय महलो की ढाणी झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 9414494194 एवं श्री चन्द्राराम पुत्र बक्साराम जी उम्र 41 साल जाति जाट निवासी 4डी 18 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर हाल अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय महलो की ढाणी झालामण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर 9983316450 होना बताया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया एवं श्री लालाराम कानि. चालक 638 को एसीबी कार्यालय जोधपुर से सरकारी वाहन लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 10.00 ए.एम पर एसीबी कार्यालय जोधपुर से ब्यूरो जाप्ता श्री प्रभुसिंह हैड कानि. 55, श्री भुरसिंह कानि. 23, श्री दलेश कानि. 437 एवं चालक श्री लालाराम सरकारी वाहन टवेरा आरजे 14 यूसी 3352 सहित हाजर आये। वक्त 10.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवारी श्री पप्पुराम कार्यालय में हाजिर आया एवं परिवारी ने बताया



कि मैं आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली दस हजार रुपये की राशि साथ लेकर आया हूँ। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित दोनों गवाहान व परिवादी का आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री पप्पुराम द्वारा पेश रिपोर्ट मय दस्तावेज का दोनों गवाहान को अवलोकन करवाया जाकर आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी एवं परिवादी श्री पप्पुराम के मध्य दिनांक 09.02.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के संबंध में हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हैं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा से निकाल कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो आरोपी द्वारा वक्त सत्यापन 10,000/- रुपये रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु सहमति देने की पृष्टि हुई। दोनों गवाहान द्वारा परिवादी श्री पप्पुराम से परिवाद में अंकित तथ्यो व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पूछताछ कर संतुष्ट होने पर ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की मौखिक सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं संलग्न दस्तावेज पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वीच ऑफ कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। समय 10.45 ए.एम. पर परिवादी श्री पप्पुराम ने रुबरू स्वतन्त्र गवाहान के आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले 8,000/- रु 500-500 रु. के कुल 16 नोट प्रस्तुत किये। उपरोक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा के नोट नंबर एवं सुपुर्दगी में अंकित किये गये। सभी नोटो पर कार्यालय के मालखाना से श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री रमेश जोशी से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. से रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपीगण व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन-देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत की। श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया को समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत में काम लिया गया ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित कार्यालय हाजा की अलमारी में रखवाकर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को कार्यालय में रहने की हिदायत की गई। पुराना अखबार जिस पर राशि रख कर फिनोफथलीन पाउडर लगाया था उसके रुबरू गवाहान जलाया जाकर नष्ट कराया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस में तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 11.00 ए.एम. पर कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में परिवादी श्री पप्पुराम एवं आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी के मध्य दिनांक 09.02.2022 को हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में से निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड अपनी अभिरक्षा में रखते हुए कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा गया। वक्त 11.15 ए.एम. पर मन् श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री रमेश जोशी, श्री चन्द्राराम, ब्यूरो जाब्ता श्री बचनाराम कानि. 447 श्री ताराचन्द कानि. 176 एवं परिवादी श्री पप्पुराम के मय ट्रेप बॉक्स, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 3352 चालक श्री लालाराम कानि. एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री मोहनराम हैड कानि. एवं ब्यूरो जाब्ता श्री प्रभुराम हैड कानि. 55, श्री प्रभूसिंह कानि. 77, श्री भूरसिंह कानि. 23, श्री दलेश कानि. 437 के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से बावड़ी जिला जोधपुर की तरफ रवाना हुए। श्री भोपालसिंह लखावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण वास्ते सुपरविजन हमराह रहे। वक्त: 12.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के कस्बा बावड़ी पहुँच मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री बचनाराम कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री पप्पुराम के साथ रिश्वति राशि-आदान प्रदान के दौरान होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु पटवार कार्यालय बावड़ी से थोड़ा पहले पहुँच संदिग्ध पटवारी की उपस्थिति कार्यालय में सुनिश्चित कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द करने की हिदायत कर परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के रिश्वति राशि आदान-प्रदान स्थान के पास पहुँचने हेतु रवाना हुए। वक्त: 12.50 पी .एम. तक मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पटवार कार्यालय बावड़ी के आस-पास पहुँच सरकारी वाहनों को सड़क के किनारे गोपनीय रूप से खड़े करवाये जाकर परिवादी गोपनीय इशारे के इंतजार में मुकिम रहे।



वक्त: 02.15 पी.एम. पर परिवारी श्री पप्पुराम पुत्र बालुराम उम्र 36 साल जाति जाट निवासी डावोला का बास, बावड़ी तह0 बावड़ी जिला जोधपुर ने वक्त 02.02 पी.एम. पर पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने मोबाईल नं. 9252168793 से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9928855477 पर काल कर बताया कि पटवारी जी मिल गये हैं और उन्होंने मेरे से पैसे ले लिये हैं। जिस पर परिवारी का इशारा मिलते ही मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता पटवार कार्यालय बावड़ी के मुख्य द्वारा पर पहुँचे तो पटवार कार्यालय के आगे मुख्य सड़क पर परिवारी श्री पप्पुराम उपस्थित मिला। जिससे पूर्व में दिया गया डिजिटल वाईस रिकार्ड प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा। डिजिटल वॉयस मे रिकॉर्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रुबरू स्वतन्त्र गवाहान के तैयार की जावेगी। परिवारी ने पटवार कार्यालय बावड़ी के आगे के खुले चौक में हाथ में लाल कलर का बैग लिये हुए व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही व्यक्ति श्री भंवरलाल पटवारी है। जिसने मेरे से अभी-अभी 8,000/- रुपये रिश्वति राशि मेरे से इशारे से अपने टेबल पर रखवाकर प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी टेबल पर रखे पेपर के नीचे रखे हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने मय ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतन्त्र गवाहान के उक्त लाल कलर के बैग हाथ में लिये हुए व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना एवं हमरायान का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 52 वर्ष जाति प्रजापत निवासी 60 सैनिक पुरी डिगाड़ी जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावड़ी चक संख्या-2 तहसील बावड़ी जिला जोधपुर होना बताया उक्त व्यक्ति का दाहिना हाथ कलाई के उपर से श्री वचनाराम कानि एवं बाँया हाथ कलाई के उपर से श्री ताराचन्द कानि से सुरक्षा की दृष्टि से पकड़वाये गये। तत्पश्चात आरोपी से परिवारी की तरफ इशारा कर पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हैं जिस पर आरोपी ने बताया कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये श्री पप्पुराम है। जिस पर आरोपी से पूछा कि क्या आपने अभी-अभी श्री पप्पुराम से पैसे लिये हैं। इस पर आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी ने कहा कि मैंने श्री पप्पुराम से किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं की है। तत्पश्चात आरोपी के दोनो हाथ यथा स्थिति में पकड़े रहने देते हुए मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान व आरोपी के मौका से पटवार कार्यालय बावड़ी के कक्ष का रुबरू गवाहान के आरोपी से ताला खुलवाया जाने पर परिवारी ने आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी की टेबल पर रखे हुए रजिस्ट्री की फोटो प्रति की तरफ इशारा कर बताया कि मेरे से रिश्वति राशि टेबल पर रखवाने के पश्चात श्री भंवरलाल पटवारी द्वारा अपने दाहिने हाथ से इस पेपर के निचे रखे हैं जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री रमेश जोशी से उक्त रजिस्ट्री की फोटोप्रति हटवाये जाने पर उक्त कागजात के निचे 500-500 रुपये के नोट पाये गये उक्त राशि गवाह श्री रमेश जोशी से उठवाकर गिनवाई गई तो उक्त रिश्वती राशि 8,000/- रुपये 500-500 रु. के 16 नोट होना पाये गये। रिश्वती राशि 8,000/- रुपये 500-500 रु. के 16 नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी के नम्बरों से करवाने हेतु फर्द पेशकशी गवाह श्री चन्द्राराम को सुपुर्द कर गवाह श्री रमेश जोशी द्वारा नोटों के नम्बर बोल बोलकर फर्द पेशकशी से मिलान करवाया जाने पर फर्द में अंकित कम संख्या 01 से 16 तक के नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन तैयार कर फर्द में विस्तृत रूप से तथ्यों का उल्लेख किया जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी के कार्यालय कक्ष की टेबल जहां से रिश्वति राशि का शील्डशुदा पैकेट, दोनो हाथों के धोवन एवं श्री भंवरलाल पटवारी के कार्यालय कक्ष की टेबल जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई टेबल के धोवनों के प्रादर्शों एवं टेबल का धोवन लेने में प्रयुक्त कपड़े की चिन्दी का शील्डशुदा पैकेट पर प्रकरण का विवरण अंकित कर शील्ड चेपा किये गये। आरोपी के कार्यालय कक्ष की टेबल पर रिश्वति राशि के उपर रखा गया बैचाननामा द्वारा श्री दिलीपसिंह पुत्र श्री शीशुपालसिंह जोधा बहक श्रीमती उर्मिला देवी पत्नि श्री युधिष्ठिर की फोटो प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान, आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर उक्त दस्तावेज को एक कपड़े की थैली मे डालकर थैली पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व थैली पर मार्क-पी अंकित किया गया। वक्त 4.15 पी.एम. पर श्री पप्पुराम नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय बावड़ी को तलब कर परिवारी श्री पप्पुराम द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती कमला देवी के नाम कय की गई जमीन का नामान्तरण दर्ज करने हेतु दिये गये दस्तावेजात एवं उन दस्तावेजात पर आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 04.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवारी श्री पप्पुराम, दोनों गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के परिवारी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब कर शामिल रनिंग नोट किया गया। श्री पप्पुराम नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय बावड़ी द्वारा परिवारी श्री पप्पुराम द्वारा अपनी पत्नि श्रीमती कमला देवी के नाम कय की गई जमीन का नामान्तरण दर्ज करने हेतु दिये गये दस्तावेजात एवं उन दस्तावेजात पर आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाई गई जो शामिल रनिंग नोट की गई। वक्त 05.15 पी.एम. तक आरोपी श्री भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 52 वर्ष जाति प्रजापत निवासी 60 सैनिक पुरी डिगाड़ी जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावड़ी चक संख्या-2 तहसील बावड़ी जिला जोधपुर से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की





कार्यवाही से आरोपी द्वारा परिवादी श्री पप्पुराम की पत्नि श्रीमती कमला द्वारा श्रीमति खमा पत्नि श्री गिरधारी राम उम्र 58 साल जाति जाट निवासी बावड़ी जिला जोधपुर से दिनांक 12.01.2022 को कय की गई 1.03955 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरण परिवादी की पत्नि श्रीमति कमला के नाम दर्ज करने की एवज में पूर्व में 10,000/- रुपये रिश्वती राशि की मांग करना वक्त सत्यापन परिवादी द्वारा आरोपी से पूर्व में मांगी गई राशि अधिक होने बाबत मन्ति करने पर आरोपी द्वारा परिवादी को अपनी इच्छानुसार राशि देने बाबत कहना तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही 8,000/- रुपये परिवादी से अपनी टेबल पर ईशारे से रखवाना जो आरोपी के कार्यालय कक्ष की टेबल से उक्त रिश्वती राशि बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 52 वर्ष जाति प्रजापत निवासी 60 सैनिक पुरी डिगाड़ी जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावड़ी चक संख्या-2 तहसील बावड़ी जिला जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। वक्त 05.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त ब्यूरो जाब्ता, स्वतन्त्र गवाहान, श्री पप्पुराम, नायब तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर की उपस्थित में आरोपी के पटवार कार्यालय बावड़ी के कक्ष की तलाशी ली गई जिसमें राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य कोई संदिग्ध राशि/दस्तावेजात नहीं पाया जाने से पृथक से फर्द खाना तलाशी मुर्तिब नहीं करने का निर्णय लिया जाकर सरकारी राजस्व रिकार्ड यथा स्थिति उपस्थित श्री पप्पुराम नायब तहसीलदार बावड़ी को सुपुर्द किया जाकर वक्त 06.30 पी.एम. तक मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री ताराचन्द कानि., श्री बचनाराम कानि. श्री प्रभुसिंह कानि. व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 52 वर्ष जाति प्रजापत निवासी 60 सैनिक पुरी डिगाड़ी जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावड़ी चक संख्या-2 तहसील बावड़ी जिला जोधपुर जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 3352 चालक श्री लालाराम कानि० मय फर्दात के मुताबिक जब्तशुदा वजह सबूत, प्रादर्श, ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर सहित एवं जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री मोहनराम हैड कानि 44 व ब्यूरो जाब्ता श्री प्रभुराम हैड कानि., श्री दलेश कानि., श्री भुरसिंह कानि. के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना हुए। श्री भोपालसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र०नि० ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण हमराह हैं। परिवादी श्री पप्पुराम को कल दिनांक 11.02.2022 को प्रातः 08.00 बजे एसीबी कार्यालय जोधपुर में उपस्थित होने की हिदायत कर रुखसत किया गया। वक्त 09.00 पी.एम. तक रवानाशुदा जिला अस्पताल पावटा जोधपुर पहुँचे जहाँ आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी का स्वास्थ्य चैकअप करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तत्पश्चात जिला अस्पताल पावटा जोधपुर से रवाना हो मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर पहुँच आरोपी का कोविड-19 परीक्षण हेतु सैम्पल दिया गया आईन्दा रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल रनिंग नोट की जावेगी। तत्पश्चात मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर से रवाना होकर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी पहुँच आरोपी को श्री भंवरलाल पटवारी को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर को सुपुर्द करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर कार्यालय पहुँच जब्त शुदा रिश्वती राशि, आरोपी के दोनों हाथों के धोवन के प्रादर्श आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, आरोपी के कार्यालय कक्ष की टेबल जहां से रिश्वती राशि बरामद की गई थी उक्त टेबल के लिये गये धोवन मार्क टी-1, टी-2, की सील्डशुदा शिशियां, टेबल के धोवन में प्रयुक्त चिन्दी का पैकेट मार्क-सी, आरोपी के कार्यालय कक्ष की टेबल पर रिश्वती राशि के उपर रखा गया बैचाननामा द्वारा श्री दिलीपसिंह पुत्र श्री शीशुपालसिंह जोधा बहक श्रीमती उर्मिला देवी पत्नि श्री युधिष्ठिर की फोटोप्रति का सील्डशुदा पैकेट मार्क-पी आदि माफिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कल दिनांक 11.02.2022 को प्रातः 08.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रुखसत दी गई।

दिनांक 11.02.2022 को वक्त 08.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री रमेश जोशी एवं श्री चन्द्राराम तथा परिवादी श्री पप्पुराम एसीबी कार्यालय में उपस्थित आये। वक्त 08.20 ए.एम. तक परिवादी श्री पप्पुराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री पप्पुराम एवं आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी के मध्य हुई रिश्वती राशि की वक्त मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप दिनांक 09.02.2022 जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं उक्त मैमोरी कार्ड मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर मे कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरु की गई। वक्त 09.20 ए.एम. तक परिवादी श्री पप्पुराम एवं आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी के मध्य दि. 09.02.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से एक सीडी तैयार की एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे की थैली मे सिलाई कर, सील चस्पा कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। डब सीडी को खुला ही रहने दिया गया। मूल सील्ड मैमोरी कार्ड का



पैकेट एवं खुली डब सीडी को कार्यालय हाजा के हैड कानि. श्री ताराचन्द मु.आ 112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। वक्त 09.30 ए.एम. तक परिवादी श्री पप्पुराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री पप्पुराम एवं आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी के मध्य दिनांक 10.02.2022 वक्त रिश्वती राशि लेन-देन हुई रुबरु वार्ता जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरू की गई। वक्त 11.30 ए.एम. तक परिवादी श्री पप्पुराम एवं आरोपी श्री भंवरलाल पटवारी के मध्य दि. 10.02.2022 को रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप को सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से एक सीडी तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर एक कपडे की थैली में सिलाई कर, सील चस्पा कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। डब सीडी को खुला ही रहने दिया गया। मूल शील्ड मैमोरी कार्ड का पैकेट एवं खुली डब सीडी को कार्यालय हाजा के हैड कानि. श्री ताराचन्द मु.आ 112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी को बाद कार्यवाही के इजाजत वापसी दी गई।


अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 52 वर्ष जाति प्रजापत निवासी 60 सैनिक पुरी डिगाड़ी जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावड़ी चक संख्या-2 तहसील बावड़ी जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री पप्पुराम की पत्नि श्रीमती कमला द्वारा श्रीमति खमा पत्नि श्री गिरधारी राम उम्र 58 साल जाति जाट निवासी बावड़ी जिला जोधपुर से दिनांक 12.01.2022 को कय की गई 1.03955 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरण परिवादी की पत्नि श्रीमति कमला के नाम दर्ज करने की एवज में पूर्व में 10,000/- रुपये रिश्वति राशि की मांग करना वक्त सत्यापन परिवादी द्वारा आरोपी से पूर्व में मांगी गई राशि अधिक होने बाबत मिन्नते करने पर आरोपी द्वारा परिवादी को अपनी इच्छानुसार राशि देने बाबत कहना तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही 8,000/- रुपये परिवादी से अपनी टेबल पर ईशारे से रखवाना जो आरोपी के कार्यालय कक्ष की टेबल से उक्त रिश्वती राशि बरामद होना पाया गया।

आरोपी श्री भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 52 वर्ष जाति प्रजापत निवासी 60 सैनिक पुरी डिगाड़ी जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावड़ी चक संख्या-2 तहसील बावड़ी जिला जोधपुर के दाहिने हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में झाईनुमा हल्का गुलाबी रंग, आरोपी के बाँये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में मटमैला रंग एवं आरोपी के कार्यालय कक्ष की टेबल जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई के लिये गये धोवन में गहरा गुलाबी रंग आना 8,000/- रुपये रिश्वति राशि आरोपी के कार्यालय कक्ष की टेबल पर रखे हुए दस्तावेजात के नीचे से बरामद होना। इस तरह श्री भंवरलाल पुत्र श्री शंकरलाल उम्र 52 वर्ष जाति प्रजापत निवासी 60 सैनिक पुरी डिगाड़ी जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावड़ी चक संख्या-2 तहसील बावड़ी जिला जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते कमांकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है।

  
(अमरा राम खोखर)  
निरीक्षक पुलिस  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
जोधपुर ग्रामीण

## कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमराराम खोखर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री भंवरलाल, पटवारी, पटवार मण्डल बुचैटी अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का बावड़ी चक संख्या-2, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 42/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 400-04 दिनांक 11.02.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।